कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक,

नं.1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद - 500 009.

दूरभाष/Tel : 040-27843385 फैक्स/Fax : 040-27817275

सं.लेखा/II/13027/जिल्द-III दिनांक : 31.03.2015

सेवा में,
मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग
सभी अधीनस्थ कार्यालय (मानक सूची के अनुसार)
प्रबंधक, ई.डी.पी. केंद्र, का0 क्षे.ले.का. (नौसेना) वैज़ाग ।

विषय : वर्ष 2014-2015 के लिए वार्षिक लेखाबंदी ।

*****

मुख्यालय कार्यालय के दिनांक 16.03.2015 के पत्रांक A/I/113311/ACA/2014-2015 के अधीन उपरोक्त विषय पर सामान्य अनुदेश परिचालित करने के साथ-साथ वर्ष 2014-2015 की लेखाबंदी की तारीखों को सूचित किया है जो सभी संबंधित पक्षों की सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए नीचे अंकित की गई है ।

मुख्यालय कार्यालय द्वारा जारी निदेशों का अनविार्य रूप से अनुपालन किया जाए और नीचे दी गई तारीखों पर बिना किसी विलंब के पंचिंग माध्यम को प्रस्तुत किया जाए ।:-

महीने की लेखाएं	मुख्य कार्यालय के ई.डी.पी. केंद्र में पंचिंग माध्यम के अंतिम बैच को प्राप्त करने की अंतिम तारीख	रक्षा लेखा महानियंत्रक के कंप्यूटर केंद्र के संकलन सिस्टम में दैनिक पंचिंग माध्यम को अपलोड करने की अंतिम तारीख
मार्च (प्राथमिक) 2015	14.04.2015 (मंगलवार)	20.04.2015 (सोमवार)
मार्च (अनुपूरक) 2015 (13 लेखाएँ)	27.04.2015 (सोमवार)	30.04.2015 (गुरुवार)
मार्च (अनुपूरक सुधार) 2015 (मार्च मैनुअल)	12.05.2015 (मंगलवार)	18.05.2015 (सोमवार)
मार्च अनुपूरक सुधार लेखाओं के लिए समय गवाक्ष (मार्च अंतिम)	15.05.2015 (शुक्रवार)	18.05.2015 (सोमवार)

कृपया नोट करें कि मार्च अनुपूरक सुधार अर्थात् मार्च मैनुअल लेखाों का पंचिंग माध्यम मुख्य कार्यालय के लेखा अनुभाग के माध्यम से ही दो प्रतियों में टाइप करके वेटिंग के लिए भेजा जाए ताकि ग्रूप अधिकारी (लेखा) के अनुमोदन के बाद ई.डी.पी. को एक प्रति भेजी जा सके ।

कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि मार्च (अनुपूरक सुधार) लेखा (मार्च अंतिम) की लेखाबंदी के बाद कोई सुधार/समायोजन का प्रस्ताव न किया जाए । तथापि अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि मार्च (अनुपूरक सुधार) लेखा (मार्च अंतिम) की लेखाबंदी के बाद किसी सुधार/समायोजन की आवश्यकता होती है तो रक्षा लेखा महानियंत्रक के अनुमोदन के साथ ही जर्नल प्रविष्टियाँ की जा सकती हैं ।

मुख्यालय कार्यालय के उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, कृपया सुनिश्चित करें कि सभी शेष बुकिंग को अनिवार्य रूप से मार्च (अनुपूरक) में प्रविष्टि कर लिया जाए और केवल विशिष्ट परिस्थितियों मे मार्च (अनुपूरक सुधार) में बुकिंग की प्रविष्टियाँ की जाएं ।

मार्च अनुपूरक सुधार (अंतिम) लेखा को अंतिम रूप देने से पहले निम्नांकित कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए :-

(क) योग्य कर-समाहरण (अधिभार सहित) में प्राथमिक शिक्षा उपकर (2% के दर से) और उच्चतर शिक्षा उपकर (1% के दर से) सही रूप से 2:1 के निर्धारित अनुपात में संकलित किया जाना चाहिए ।

(ख) संव्यवहार हेतु प्रतीक्षित प्राप्तियाँ अर्थात् वित्तीय वर्ष 2014-15 की लेखाबंदी के समय कूट शीर्ष 016/04 और 016/05 के अधीन एन.पी.एस. संव्यवहार के अंतर्गत कोई भी राशि बकाया नहीं होनी चाहिए । यदि इन कूटशीर्षों के अधीन कोई राशि बकाया रहती है तो उसे मार्च अनुपूरक लेखाओ में अनिवार्य रूप से विविध उचंत शीर्ष 020/61 के अधीन हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए ।

(ग) प्रभारित खर्च की राशियों को सही रूप से प्रविष्ट करके उसे संकलित किया जाना चाहिए ।

(घ) माइनस (-) संवयवहार वास्तविक होने चाहिए ।

(ङ) मुख्य शीर्ष 8342 00 117 - सरकारी कर्मचारियों के लिए रक्षा अंशदान पेंशन योजना के अधीन कोई संकलन नहीं किया जाना चाहिए ।

कृपया उपरोक्त अनुदेशों को परिचालित कर सभी संबधित पक्षों से नोट करा लिया जाए और इस परिपत्र की पावती दें ।

रक्षा लेखा नियंत्रक महोदय ने देख लिया है ।

हस्ता/-
रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक (लेखा)

प्रतिलिपि:

प्रभारी अधिकारी
ई.डी.पी. केंद्र (स्थानीय) : सूचनार्थ तथा इस परिपत्र को र.ले.नि, सिकंदराबाद की वेबसाइट में अपलोड करने की प्रार्थना के साथ ।

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (लेखा)